(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 33/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

तारीख रजू : 18.06.2024 निर्णय दिनांक : 30.07.2024

1. बिशम्भर पुत्र औमकार जाति चमार निवासी ग्राम डाबडवास, तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. – प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
2. शुभराम पुत्र औमकार
3. शीशराम पुत्र औमकार
4. सुभाष पुत्र औमकार
5. बिल्लू पुत्र औमकार
6. रधुवीर उर्फ रगबीर पुत्र गणपत
   समस्त जातियान चमार निवासीयान ग्राम डाबडवास तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.।
7. सरवन देवी पत्नी शेरसिंह जाति खटीक निवासी ग्राम नीमराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.।
8. बनवारीलाल पुत्र जयदयाल जाति खटीक निवासी ग्राम नीमराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़।
9. उप पंजीयक मांढण तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़।
10. तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड़। – अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष उनवानी वाद बिशम्भर बनाम शुभराम वगै0 मुकदमा संख्या 419/2022 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री अनुप शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री धर्मेन्द्र कुमार अधिवक्ता – अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 07 की ओर से

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष उनवानी प्रकरण बिशम्भर बनाम शुभराम वगै0 मुकदमा संख्या 419/2022 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। वकील अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 07 ने सीधी बहस करना चाहा। अतः बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई।
3. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष वाद बउनवानी विशम्भर बनाम शुभराम वगैरा प्रकरण संख्या 419/2022 इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 727/0.82, 745/0.16, 1076/1230/0.31. 784/0.23, 785/0.27, 786/0.08, 787/0.59, ग्राम डाबडवास तहसील नीमराना के प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के बीच बिना बटी हुई सहखातेदार की कब्जे काश्त की आराजी के बंटवारा हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षो की बहस सुनने के उपरान्त प्रकरण में दिनांक 26.03.2024 को कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश पारित किये। जिस पर तहसीलदार महोदय व पटवारी हल्का द्वारा विना वादी को सूचित किये मौके पर जाकर गलत कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नीमराना से साज–बाजकर बिना प्रार्थी को सुचित किये व बिना प्रार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये मौके पर जाकर गलत तथ्यो के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवायी है जो गलत तैयार करवायी गयी है। यह कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर ऐतराज प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रार्थी द्वारा

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

प्रस्तुत उजरात पर बिना विचार किये व बिना उजरातप्रार्थना पत्र लिये प्रकरण का निस्तारण किये जाने पर आमादा है। इसलिये वर्तमान पीठासीन अधिकारी के आचरण से प्रार्थी को उनसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कतई नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष विचाराधीन वाद बअनुवानी विशम्भर बनाम शुभराम वगैरा प्रकरण संख्या 419/2022 को तहसील नीमराणा के अतिरिक्त अन्यत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष स्थानान्तरण किये जाने के आदेश सादिर फरमावे।

4. वकील अप्रार्थीगण नम्बर 02 ल0 07 ने अपनी बहस में प्रार्थीगण अधिवक्ता के उक्त तर्को का खण्डन करते हुये जाहिर किया की प्रार्थी मंगढनत एवं झूठे तथ्य पेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से फौत हुए व्यक्ति को पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वकील अप्रार्थी ने तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश करते हुए यह जाहिर किया कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 08 बनवारीलाल दिनांक 05.07.2021 को फौत हो गया है, जिसकी सूचना प्रार्थी को थी लेकिन प्रार्थी द्वारा यह तथ्य छुपाकर न्यायालय को गुमराह करते हुए, तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को लम्बित करने के उदेशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज करने की कृपा करें।

5. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने अपने पत्रांक कोर्ट/2024/305 दिनांक 03.07.2024 द्वारा बिन्दुवार टिप्पणी भिजवाकर जाहिर किया है कि तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट सही रूप से तैयार की गई है और यदि कुर्रेजात रिपोर्ट पर एतराज हो तो तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में मनघडन्त व बनावटी तथ्य पेश किये है। अन्त में उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने निवेदन किया कि यदि उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा गलत एवं मनगढंत तथ्य अंकित किये है। वकील अप्रार्थी द्वारा तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश कि है जिससे यह साबित होता है कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 08 बनवारीलाल दिनांक 05.07.2021 को फौत हो गया है जिसकी सूचना स्वयं प्रार्थी को थी, लेकिन प्रार्थी द्वारा यह तथ्य छुपाकर न्यायालय को गुमराह किया है। इसलिए प्रार्थी का यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित समझते है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के संबन्ध में भी कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

अधिकारी नारायणपुर वगै0